WWW.LIVELAW.IN

उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम अधिनियमों से अस्थायी छूट अध्यादेश, 2020

(उ0प्र0 अध्यादेश संख्या .... सन 2020)
(भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

समस्त कारखानों तथा विनिर्माण अधिष्ठानों को कतिपय श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन से तीन वर्ष के लिये छूट प्रदान करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि, राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद– 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम अधिनियमों से अस्थायी छूट अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये होगा।
(3) यह अध्यादेश गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

परिभाषायें

2. इस अध्यादेश में जब तक कि सन्दर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो,
(1) ''कारखाना'' से अभिप्रेत ऐसे परिसर से है जो कारखाना अधिनियम की धारा–2(ड) के अन्तर्गत कारखाना के रूप में परिभाषित है।
(2) ''विनिर्माण'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो कारखाना अधिनियम की धारा–2(ट) के अन्तर्गत विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित है।
(3) ''न्यूनतम वेतन'' से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वेतन से है।
(4) ''वेतन'' से अभिप्रेत समस्त पारिश्रमिक जो न्यूनतम वेतन अधिनिमय, 1948 की धारा–2(ज) के अन्तर्गत वेतन के रूप में परिभाषित है।
(5) ''कर्मकार'' से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो कारखाना अधिनियम की धारा–2(ठ) के अन्तर्गत कर्मकार के रूप में परिभाषित है।

WWW.LIVELAW.IN

अध्याय–2
अस्थायी छूट एवं उसकी शर्तें

अस्थायी छूट

3. सभी कारखाने तथा अधिष्ठान जो निर्माण प्रक्रिया में रत हैं, को उत्तर प्रदेश में लागू समस्त श्रम अधिनियमों के प्रचालन से तीन वर्ष की अवधि के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट होगी–

(क) समस्त नियोजित कर्मकारों का नाम एवं उनके विवरण कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–62 में विहित उपस्थिति पंजिका पर इलेक्ट्रानिक रीति से दर्ज किये जायेंगें।
(ख) किसी भी कर्मकार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विहित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान नहीं किया जायेगा।
(ग) समस्त कर्मकारों को वेतन संदाय अधिनियम, 1936 की धारा–5 के अन्तर्गत विहित समय–सीमा के अन्तर्गत वेतन का भुगतान किया जायेगा।
(घ) समस्त कर्मकारों को वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
(ड़) कर्मकारों के सुरक्षा एवं संरक्षा से सम्बन्धित कारखाना अधिनियम, 1948 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्राविधान लागू रहेंगें।
(च) कर्मकारों को किसी दिन ग्यारह घण्टे से अधिक के लिये काम करने के लिये अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जायेगा तथा कार्यविस्तृति किसी भी दिन बारह घण्टे से अधिक नहीं होगी।
(छ) नियोजन के अनुक्रम में घटित किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप कर्मकार की मृत्यु अथवउ अक्षमता कारित होने पर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।
(ज) महिलाओं और बच्चों के नियोजन से सम्बन्धित श्रम अधिनियमों के प्राविधान लागू रहेंगें।
(झ) बन्धुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के प्राविधान लागू रहेंगें।

छूट की शर्तों के उल्लंघन का परिणाम

4. धारा–3 के अन्तर्गत विहित किन्हीं शर्तों के उल्लंघन की दशा में वर्तमान में प्रभावी सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय–4
विविध

WWW.LIVELAW.IN

नियम बनाने की शक्ति	5.	राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अध्यादेश के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकेगी।
कठिनाईयों का निवारण	6.	(1) इस अध्यादेश के प्राविधानों को लागू करने के सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा, कठिनाईयों के निवारण के लिये आवश्यक अथवा समुचित प्राविधान कर सकेगी। (2) उपधारा–(1) के अन्तर्गत बनाये गये नियम राज्य विधान मण्डल के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगें।
निरसन एवं बचत	7.	अध्यादेश में निहित किसी बात के होते हुये भी विभिन्न श्रम अधिनियमों के पूर्ववर्ती प्रचालन पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

WWW.LIVELAW.IN

THE UTTAR PRADESH TEMPORARY EXEMPTION FROM CERTAIN LABOUR LAWS ORDINANCE, 2020

(U.P. ORDINANCE NO.- OF 2020)

(Promulgated by The Governor In The Seventy First Year OF The Republic Of India)

AN ORDINANCE

To exempt factories and other manufacturing establishments application of certain labour laws for a period three years.

WHEREAS the state legislature is not session the Governor is satisfied that circumstances exists which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short Title, extent and Commencement

1- (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Temporary Exemption from Certain Labour Laws Ordinance, 2020

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) This Ordinance shall come into force on the date of its publication in the Gazette.

Definitions

2- In this Ordinance, unless the context otherwise requires:-

(a) **"Factory"** means any premises defines as factory in section 2(m) of the Factories Act, 1948.

(b) **"Manufacturing"** means the process as defined manufacturing process under Section 2 (k) of the Factories Act.

(c) **"Minimum wage"** means the wage prescribed by State Government.

(d) **"Wages"** means all remunerations defined as wages in Section 2 (h) of the Minimum Wages Act, 1948.

(e) **"workers"** means a person defined as worker in section 2(l) of the Factories Act, 1948.

CHAPTER- II
TEMPORARY EXEMPTION AND CONDITIONS THEREOF

Temporary Exemption

3- All factories and establishments engaged in manufacturing process shall be exempted from the operation of all Labour Laws for a period of three years, subject to the fulfillment of the following conditions:

WWW.LIVELAW.IN

(a) The name and details of all employed workers shall be entered electronically on attendance register prescribed in section-62 of the Factories Act, 1948.
(b) No workers shall be paid less than minimum wages as prescribed by UP Government.
(c) The wages to the workers shall be paid within the time limit prescribed under section- 5 of Payment of Wages Act, 1936.
(d) The wages to workers shall be paid only in their bank accounts.
(e) The provisions of Factories Act, 1948 and Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 relating to safety and security of the workers shall remain applicable.
(f) The workers shall not be allowed or required to work for more than eleven hours per day and the spread over of the work shall not be more than twelve hours per day.
(g) For any death or disability due to accident arising out of and in the course of employment compensation shall be paid in accordance with Employees Compensation Act, 1923.
(h) The provisions of the various labour laws relating to the employment of children and women shall remain applicable.
(i) The provisions of Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 shall remain applicable.

Consequences for the breach of conditions of exemptions

4- For any breach of the conditions provided in section-3 action will be taken in accordance with the provisions of existing relevant Acts.

CHAPTER – IV
MISSCELLANEOUS

Power to make rules

5- The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

Power to remove difficulties

6- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provision of this Ordinance, the State Government may, by notification, make such provisions, not in consistent with the provisions of this ordinance as appear to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be, before both Houses of the State Legislature.

Repeal and Savings

7- Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the previous operations of various Labour Laws shall not be affected.